

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
**वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015**  
**(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)**

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-2000/2013)/अलेसे-II/796

दिनांक :- 22-3-23

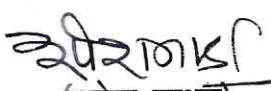
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क.सं. | लिंक नं. | नाम क. लेखाकार<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा                                | आयोजक संस्था                            | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2        | 3                                       | 4                                          | 5                                       | 6                         |
| 1     | 10223    | दिव्याश्री चौधरी                        | एम. कॉम प्रिवियस<br>2022-23<br>(स्वयंपाठी) | मोहनलाल सुखाडिया<br>यूनिवर्सिटी, उदयपुर | कोषाधिकारी उदयपुर ग्रामीण |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
**(भूपेश माथुर)**

**निदेशक एवं पादेन  
संयुक्त शासन सचिव**

दिनांक :- 22-3-23

क्रमांक : एफ.4(ई)(डी-2000/2013)/अलेसे-II/796-59

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. कोषाधिकारी उदयपुर (ग्रामीण)।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. दिव्याश्री चौधरी, सहायक लेखाधिकारी-II कोष कार्यालय उदयपुर ग्रामीण।
4. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



**(के.जी. गुप्ता)**

**अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)**